न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 10/2023 **G.C.M.S. No. 2023/21** **दर्ज दिनांक : 15.02.2023**

अपीलार्थी:

1. विरेन्द्रमल जैन पुत्र श्री पारसमलजी मेहता, निवासी चैन्नई, तमिलनाडू
2. नरपतमल मेहता पुत्र श्री पारसमलजी मेहता के विधिक वारिसानः–
   2/1 एन. शांता कंवर पत्नी नरपतमल मेहता के आममुख्तियार विरेन्द्रमल जैन पुत्र श्री पारसमलजी मेहता, निवासी चैन्नई।
3. नेम कंवर पुत्री पारसमलजी मेहता फौत के विधिक वारिसानः–
   3/1 सुरेश कुमार मेहता पुत्र श्री महादेवचंद जाति जैन,
   3/2 दिनेश कुमार पुत्र श्री महादेवचंद जाति जैन,
   3/3 सुरेश कुमार पुत्र श्री महादेवचंद जाति जैन, तमाम निवासी चैन्नई, तमिलनाडू जरिये आममुख्तियार विरेन्द्रमल जैन पुत्र श्री पारसमलजी मेहता, निवासी चैन्नई।
4. सुभद्रा कंवर पुत्री पारसमलजी, जाति जैन, निवासी पोकरणा की पोल जैतारण हाल निवासी जोधपुर।
5. सूर्यप्रकाश पुत्र श्री पानमल सुराणा निवासी पोकरणा की पोल जैतारण हाल मुकाम भुवनेश्वर उड़ीसा। आममुख्तियार विरेन्द्रमल जैन पुत्र श्री पारसमलजी मेहता, निवासी चैन्नई।
6. सुबोधमल मेहता पुत्र श्री सुमेरमल मेहता, निवासी सदर बाजार जैतारण, जिला पाली।
7. सुजानमल मेहता पुत्र श्री सुमेरमलजी, जाति जैन, निवासी चैन्नई हाल मुम्बई।
8. मानमल जैन पुत्र श्री चांदमलजी जैन, निवासी चैन्नई।
9. कानमल जैन पुत्र श्री चांदमलजी जैन, निवासी चैन्नई, तमिलनाडू।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मृतक देवराज पुत्र श्री पुखराज के विधिक वारिसानः–
   1/1 उगम छाजेड़ पुत्र श्री देवराज
   1/2 मोहनलाल छाजेड़ पुत्र श्री देवराज
   1/3 इन्द्रचंद छाजेड़ पुत्र श्री देवराज जातिगण जैन, निवासीगण चैन्नई।
2. नलीन छाजेड़ पुत्र श्री मोहनलाल, जातिगण जैन, निवासी चैन्नई, तमिलनाडू।
3. गौतमचंद पुत्र श्री पारसमल मेहता फौत के विधिक वारिसानः–
   3/1 सिद्धार्थ मेहता पुत्र श्री गौतमचंदजी,
   3/2 श्रेणिक मेहता पुत्र श्री गौतमचंदजी,
   3/3 सुधीर मेहता पुत्र श्री गौतमचंदजी, तमाम जागिण जैन, निवासीगण चैन्नई।
4. गुमान कंवर पुत्री श्री पारसमलजी मेहता फौत के विधिक वारिसानः–
   4/1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिलापचंदजी,
   4/2 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मिलापचंदजी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4/3 रमेश कुमार पुत्र श्री मिलापचंदजी,
4/4 अशोक कुमार पुत्र श्री मिलापचंदजी, तमाम जातिगण जैन, निवासी जैतारण, हाल बूंदी।
5. लाडकंवर पुत्री सुमेरमल मेहता, निवासी चैन्नई।
6. पुष्पा पुत्री सुमेरमल मेहता, निवासी चैन्नई।
7. रूपा कोठारी पुत्री सुमेरमल मेहता, निवासी किलपाक, चैन्नई'।
8. रेखा पुत्री सुमेरमल मेहता, निवासी डबल माल रोड़, तिरची, चैन्नई तमिलनाडू।
9. संगीता पुत्री रणजीतमलजी, निवासी पोकरण की पोल, जैतारण, हाल चैन्नई।
10. कमला बाई पत्नी रणजीतमलजी निवासी ट्रीपलीकेन, चैन्नई तमिलनाडू।
11. मोहनलाल पुत्र मोतीराम जैन निवासी अग्रसेन बाजार, ब्यावर जिला ब्यावर।
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2009 बअनवान देवराज वगैरह बनाम गौतममल मेहता वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोंडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 15.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2009 बअनवान देवराज वगैरह बनाम गौतममल मेहता वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट देवराज, मोहनलाल, इन्द्रचंद व नलीन छाजेड़ ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध एक दावा भूमि बंटवाड़े का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सोमावास, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला पाली के खसरा नम्बर 77 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 79 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 90 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 91 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा किस्म गै.मु.बे. खसरा नम्बर 92 रकबा 18 बिघा 14 बिस्वा, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 94 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 95 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता 7 कुल रकबा 131 बीघा 3 बिस्वा की भूमि आयी हुई है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें वादी के कथनानुसार वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, इसी प्रकार वादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा है और माफिक हिस्सेनुसार वादीगण का मौके पर कब्जा व काश्त है और इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 15 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 1/12 हिस्सा आता है और माफिक हिस्सेअनुसार वादी व प्रतिवादी काबिज है। चूंकि जमीन सामलाती है और भौतिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा का दावा पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 18 मोहनलाल ने बंटवाड़ा करने से मना कर दिया, इसलिये दावा करना पड़ा। इस प्रकार दावा प्रस्तुति दिनांक 27.02.2009 को पेश हुआ और प्रथम पेशी दिनांक 31.03.2009 को रखी गई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 से 8 व 17 से 19 का तामिल होना जाहिर किया। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 25.05.2009 को दी गई और उसमें यह दर्शाया गया कि प्रतिवादी संख्या 18 का सम्मन बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 8, 14, 18 व 19 अनुपस्थित रहें, इसलिये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं और इसी तरह की आदेश पंजिका दिनांक 15.06.2009 को भी दर्शायी गई, इसके बाद में पेशियां कई बार इल्तवा हुई और एक पेशी तारीख 26.05.2010 को वादीगण के अधिवक्ता ने आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिये जाने की आवश्यकता नहीं हैं और सीधे ही बहस पर रखी गई और दिनांक 01.06.2010 को तामिल हेतु आदेश पारित किया गया, जो वैसे कानूनी तौर गलत है। क्योंकि प्रथम तो तामिल कुनिन्दा ने आदेश 5 नियम 15, नियम 17 संबंधी क्या कार्यवाही की और वादी अधिवक्ता ने इस संबंध में कब तामिल करवाने के लिए कब प्रयत्न किये और तामिल कुनिन्दा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी, जिससे प्रतिवादीगण तामिल करने से जानबूझकर बच रहे हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थीं इसलिए आदेश 5 नियम 20 का आवेदन पेश करने की आवश्यकता ही नहीं थीं और फिर न्यायालय का यह लिखना कि वकील प्रतिवादी को नकल देने की आवश्यकता नहीं हैं, यहां तक आदेश दिनांक 01.06.2010 में यह लिखा जाता है कि बहस के लिए समय चाहते हैं और इतना लिखने पर फिर बहस सुनी गई और आदेश कर दिया जाता है, जो न्यायालय स्वयं अपने आप में कानून की अनभिज्ञता के तौर पर समझ है और यही नहीं ऐसा आदेश वादीगण की मिलीभगती का प्रतीक है, जिस आदेश को निरस्त करना न्यायसंगत है। आदेश पंजिका दिनांक 01.06.2010 में यह भी आया है कि समन दैनिक नवज्योति में साया करने को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

वादी को दिये जाने का आदेश दिया जाता है। जबकि दैनिक नवज्योति केवल राजस्थान में ही प्रकाशित हो रहा है जबकि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट अलग-अलग और ज्यादातर तमिलनाडू में निवास करते हैं, इसलिये उनके लिए सम्पूर्ण भारत में छपने वाले अखबार में साया करवाना था, जो देखकर न्यायालय में उपस्थिति देते, लेकिन यहां तो ऐसी चस्पानगी स्थानीय अखबार में ही साया हुई है और उसके आधार पर एकतरफा करके प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.05.2011 को यह भी आदेश पंजिका लिखी गई की प्रतिवादी संख्या 15 से 17 जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं, साथ ही शहादत वादी व शपथ पत्र देवराज का उसी रोज लिया जाता है। जिससे साफ जाहिर है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने मिलीभगती से ऐसी कार्यवाही की हैं, केवल अपीलाण्ट को छोड़कर और आगामी पेशी दिनांक 10.05.2011 को वादीगण अपने शहादत पेश करना नहीं चाहते हैं और शहादत वादी बन्द की जाती हैं और आयन्दा दिनांक 19.05.2011 को बहस सुनी गई, वास्ते दिनांक 26.05.2011 को पेश हो और उसके बाद पेशी दिनांक 26.05. 2011 को एस.डी.ओ. दिगर कार्य में व्यस्त है, और दिनांक 30. 05.2011 को तारीख दी गई और उस तारीख को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, लेकिन प्राथमिक डिक्री में नियम 18 से 21 का कहीं उल्लेख नहीं किया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को तारीख 17.01.2023 को तब हुई, जब हल्का पटवारी अपीलाण्ट सुबोधमल के पास आकर यह जाहिर किया कि देवराज, मोहनलाल, इन्द्रचंद व नलीन किसको जमीन बेची हैं और यह लोग कहां मिल सकते हैं। तब सुबोधमल ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने बताया कि सोमावास की जमीन का जो आपके व अन्य लोगों की सामलाती जमीन है, जिसका बंटवाड़ा का दावा देवराज वगैरह ने किया हुआ है और उसकी प्राथमिक डिक्री भी दिनांक 30.05.2011 को हो चुकी हैं, लेकिन पार्टी परवाह नहीं करने के कारण पालना नहीं हो रही हैं। तब सुबोधमल ने कहा कि उस जमींन में हमारा भी हक हिस्सा है। तब पटवारी ने कहा कि आप एस.डी.ओ. कोर्ट में आना, तब आपको नकलें मिलेगी, तब आवेदन संख्या 40 दिनांक 18.01.2023 को पेश किया, जो दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त हुई, तब पता चला कि जो लोग अन्य प्रान्त में व्यापार कर रहे हैं और उनकी तामिल अखबार में साया करके एकतरफा आदेश करवा दिया है, जबकि हमें तो पता नहीं हैं, फिर उन सब लोगों से टेलीफोन द्वारा बातचीत की और उनके आममुख्तियार व वकालतनामा मंगवाये और इस तरह नकल लेने के बाद समय भी व्यतीत हो गया, जो समय अपवर्जित करने पर अपीलाण्ट की अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जानकारी से अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर और अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2011 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.02.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को तारीख 17.01.2023 को तब हुई, जब हल्का पटवारी अपीलाण्ट सुबोधमल के पास आकर यह जाहिर किया कि देवराज, मोहनलाल, इन्द्रचंद व नलीन किसको जमींन बेची है और यह लोग कहा मिल सकते है। तब सुबोधमल ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने बताया कि सोमावास की जमीन का जो आपके व अन्य लोगों की सामलाती जमीन है, जिसका बंटवाड़ा का दावा देवराज वगैरह ने किया हुआ है और उसकी प्राथमिक डिक्री भी दिनांक 30.05.2011 को हो चुकी हैं, लेकिन पार्टी परवाह नहीं करने के कारण पालना नहीं हो रही हैं। तब सुबोधमल ने कहा कि उस जमीन में हमारा भी हक हिस्सा है। तब पटवारी ने कहा कि आप एस.डी.ओ. कोर्ट में आना, तब आपको नकलें मिलेगी, तब आवेदन संख्या 40 दिनांक 18.01.2023 को पेश किया, जो दिनांक 19.01.2023 को प्राप्त हुई, तब पता चला कि जो लोग अन्य प्रान्त में व्यापार कर रहे हैं और उनकी तामिल अखबार में साया करके एकतरफा आदेश करवा दिया है, जबकि हमें तो पता नहीं हैं, फिर उन सब लोगों से टेलीफोन द्वारा बातचीत की और उनके आममुख्तियार व वकालतनामा मंगवाये और इस तरह नकल लेने के बाद समय भी व्यतीत हो गया, जो समय अपवर्जित करने पर अपीलाण्ट की अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश है। अतः विलंबकाल माफ कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित है तथा अपीलांट्स प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्यक तामील उपरांत असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 9 से 13 व 18 की तामील जरिये अखबार प्रकाशन करवाई गई। जबकि शेष प्रतिवादीगण अपीलांट की तामील नियमित सम्मन से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 16 व 17 जोकि अपीलांट संख्या 8 व 9 है, की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया एवं जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाबदावा बंद किया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय व प्रकरण से अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान से भली–भांति जानकारी रखते थें। अतः अपीलांट का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 19.01.2023 को हुई, पूर्णतया भ्रामक व बनावाटी कथन है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की आरंभ से बखूबी जानकारी थीं तथा अपीलांट्स द्वारा जानबूझकर विलंब कारित किया है। अपीलांट्स द्वारा दर्शित विलंब के कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक व विश्वसनीय नहीं हैं। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 11 वर्ष 9 माह पश्चात अर्थात 4300 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। जिसके लिए कोई विश्वसनीय व सद्भाविक कारण प्रकट नहीं किए हैं तथा ऐसी स्थिति में विलंबकाल क्षमा नहीं किया जा सकता।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles'

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **4300 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **4300 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली